राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: नि र्ण य ::

शिव राम व अन्य बनाम् राजस्थान राज्य।

एकलपीठ दाण्डिक अपील संख्या- 317 /2002 अन्तर्गत धारा- 374, दण्ड प्रक्रिया संहिता बविरूद्व श्री के.एल. यादव, आर.एच.जे.एस. ,अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या-2, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक-19.2.2002 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 304 (B), 498 (A) व 201 के अन्तर्गत दोषसिद्व एवं दण्डित किया गया है।

निर्णय दिनांक- **जनवरी 22, 2007**

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री अनिल उपमन, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।
श्री एम.एल. गोयल, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

न्यायालय द्वारा-

अपीलार्थीगण शिव राम एवं रामवीर ने इस दाण्डिक अपील में अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या-2, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक-19.2.2002 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को निम्न प्रकार दण्डित किया गया है:-

(1) **धारा- 304 (B),भारतीय दण्ड संहिता-** सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड तीन माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास।

(2) **धारा- 498 (A), भारतीय दण्ड संहिता-** तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास।

(3) **धारा- 201, भारतीय दण्ड संहिता-** दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 250/-रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास।

सभी दण्डाज्ञाओं को साथ-साथ भुगताने का भी निर्देश दिया गया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि गोविन्द सिंह (अभि.साक्षी सं.3), जो कि मृतका कृष्णा का भाई है, ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना,चिकसाना के थानाधिकारी के समक्ष दिनांक- 23.4.1993 को सायं 6.15 पर प्रस्तुत की, जिसमें यह अभिकथित किया कि मृतका कृष्णा का विवाह महावीर सिंह (अभि.साक्षी सं.9) के साथ दिनांक- 2.7.1987 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार ग्राम तालफरा में सम्पन्न हुआ था। शादी के अवसर पर कृष्णा के जेठ व ससूर ने काफी शोर-शराबा किया था तथा कहा था कि जब तक मोटरसाईकिल, फिज, टेलीविजन आदि नहीं मिलता तब तक वे बरात को खाना नहीं खाने देगें और न ही फेरे पड़ने देगें। काफी समजाईश के बाद कृष्णा के फेरे होने दिए। शादी के बाद जब कृष्णा ससुराल गई तो उसे दहेज के लिए तंग व परेशान किया गया। कई बार उसके साथ मारपीट की गई । कृष्णा के साथ मारपीट के कारण वह 3.3.1993 से 5.3.1993 तक दिगम्बर अस्पताल, भरतपुर में भर्ती रही। उसके बाद कृष्णा के पति महावीर के आश्वासन पर कि वह कृष्णा को अच्छी तरह रखेगा और उसके साथ अलग रहेगा, कृष्णा को उसके साथ भेज दिया गया। दिनांक- 19.4.1993 को महावीर (कृष्णा का पति) लगभग मध्यान्ह 12.00 बजे उनके गॉव पहुंचा और उसने बताया कि उसके पीछे से उसके पिता शिवराम, भाई रामवीर सिंह व भाभी कृष्णा को धोखा देकर दिनांक-18.4.1993 को गॉव से कहीं अन्यत्र ले गये, जो अभी तक गॉव में नहीं आई है। उन्होंने या तो कृष्णा को जान से मार दिया है या अन्यत्र कहीं छिपाकर रखा है। उक्त सूचना पर कृष्णा की तलाश की गई, किन्तु वहीं कहीं नहीं मिली। विवाह के उपरान्त कृष्णा के दो पुत्रियॉ पैदा हुई थी जिनकी आयु क्रमश: तीन वर्ष तथा तीन माह है।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा-36

5 व 498 (A) के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण में अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान कृष्णा के शव को गॉव के पास स्थित एक कुए से निकलवाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-5 बनाई गई। कृष्णा के शव से उतारे गये कपड़ों को जप्त कर फर्द जप्त प्रदर्श-पी-6 बनाई गई। उसके शव का शव परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्रदर्श-पी/8 तैयार की गई। नक्शा मौका प्रदर्श-पी/1 तैयार किया गया। कृष्णा के पेट पर एक चादर में मिट्टी बंधी हुई थी जिसे प्रदर्श- पी/2 के जरिये जप्त किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गये। मृतका कृष्णा की लाश का पंचनामा प्रदर्श-पी/15 बनाया गया। अभियुक्तगण श्रीमती जयदेई, श्रीमती राममूर्ति, शिवराम व रामबीर सिंह को जरिये फर्द गिरफ्तारी (प्रदर्श क्रमश: पी-16 लगायत 19) गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो जाने के उपरान्त उक्त अभियुक्तगण के चालान प्रस्तुत किया गया। कालान्तर में प्रकरण

अन्वीक्षा हेतु सेशन न्यायालय को उपार्पित किया गया जहॉ से विचारण हेतु अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या-2, भरतपुर को प्राप्त हुआ।अभियुक्तगण के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 304 (B),498 (A) व 201 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गये। अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में 14 साक्षियों को परीक्षित करवाया गया। अभियुक्तगण के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के अन्तर्गत लेखबद्व किए गये जिनमें उन्होंने अपने आपको निर्दोष होना कथित किया।अभियुक्तगण की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में शिवराम को डी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षित करवाया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विस्तार पूर्वक विवेचित करते हुए अभियुक्त/अपीलार्थीगण शिवराम व रामवीर को उपरोक्त प्रकार से दण्डित कर दिया तथा श्रीमती जयदेई एवं राममूर्ति को आरोपों से दोषमुक्त करने के निर्देश दिए।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री अनिल उपमन, सुयोग्य लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी पक्ष के तर्कों को ध्यान पूर्वक सुना गया तथा अभिलेख का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

महावीर (अभि.साक्षी संख्या-9) मृतका का पति है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि प्रकरण में मृतका के पति महावीर को बहैसियत अभियुक्त सम्मिलित नहीं किया गया है और उसे अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित करवाया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष महावीर (अभि.साक्षी सं.9) ने यह अभिकथित किया है कि शादी के बाद वह तथा कृष्णा कभी माता-पिता के साथ रहे, कभी अलग रहे। कृष्णा ससुराल में अच्छी तरह रहती थी। हम पति-पत्नी में कभी लड़ाई नहीं थी। पत्नी की किसी से परिवार में लड़ाई नहीं थी। मेरे पिता, बड़े भाई-भाभी का व्यवहार मेरी पत्नी के साथ ठीक था। वैशाख के महीने में फसल कट रही थी, सब अपने कामों में व्यस्थ थे, तभी मेरी पत्नी उकताकर मर गई। वह तो हेलीकाप्टर, हवाई जहाज चाहती थी, हमारे पास साईकिल भी नहीं थी। वह ट्रेक्टर में घूमती थी। उसकी इच्छाऐं कैसे पूरी हो सकती थी। अभियोजन पक्ष ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया, किन्तु प्रति-परीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कृष्णा के मरने की सूचना उसके (महावीर) द्वारा उसके कृष्णा के पीहर में जाकर दी गई थी।मैंने अपने ससुराल में जाकर यह नहीं कहा कि मेरे पिता, भाई और भाभी कृष्णा को ले गये है। इस साक्षी ने अपने प्रति-परीक्षण में यह भी कथन किया है कि शादी के समय उसके पिता ने उसके ससूर से दहेज तो मॉगा था, लेकिन उसके ससूर ने कहा कि उनके पास देने को नहीं हैं, तो उसके पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, यह तो खुशी की बात है। उसके बाद उसके पिता ने कृष्णा से दहेज के बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी।

ओम प्रकाश (अभि.साक्षी सं.5) , जो कि मृतका कृष्णा के ससुराल में उनके पड़ौस में रहता था, ने अपने प्रति-परीक्षण में कहा है कि 19.4.1993 से पहले हमने 5-6 आदमियों को कृष्णा की तलाश के लिए भेज दिया था तथा उसके सामने ही पुलिस ने कृष्णा के पेट पर बंधी मिट्टी को खोलकर उठाया था।

अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के कथनों के समग्र विवेचन से निम्न तथ्य उभर कर सामने आये हैं:-

(A) प्रकरण में अपीलार्थीगण शिवराम एवं रामवीर तथा अन्य अभियुक्तगण मुस्मात राममूर्ति एवं जयदेई के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थीगण शिवराम एवं रामवीर का प्रकरण मुस्मात जयदेई एवं मुस्मात राममूर्ति से भिन्न प्रतीत नहीं होता है, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने मुस्मात जयदेई एवं मुस्मात राममूर्ति को दोषमुक्त कर दिया है जबकि अपीलार्थीगण शिवराम एवं रामवीर की दोषसिद्धि एवं दण्डित किया है।

(B) अभियोजन पक्ष के प्रमुख साक्षी महावीर (अभि.साक्षी संख्या-9) , जो कि मृतका कृष्णा का पति है, ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

(C)मृतका कृष्णा की लाश कुवे से बरामद की गई थी और उसके पेट पर मिट्टी बंधी हुई थी, जिससे प्रतीत होता है कि मृतका कृष्णा ने आत्महत्या की है।

मेरा यह निश्चित मत है कि इस प्रकरण में, जिसमें कि अभियोजन पक्ष के प्रमुख साक्षी महावीर (अभियोजन साक्षी सं.9), जो कि मृतका कृष्णा का पति है] ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है और मृतका कृष्णा रिपोर्ट लिखाने से पूर्व ही घर से चली गई थी, अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 304 (B),498 (A) व 201 के अन्तर्गत आरोप सिद्ध करने में असफल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो तहरीरी रिपोर्ट गोविन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है वह मृतका कृष्णा की लाश बरामद होने के बाद प्रस्तुत की गई है । अभियोजन पक्ष यह भी स्थापित नहीं कर सका है कि मृतका के साथ उसके ससुरालवालों का व्यवहार क्रूरतापूर्ण रहा हो अथवा विवाह के उपरान्त उसे दहेज के लिए तंग व परेशान किया गया हो ? विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की उक्त कमियों पर ध्यान नहीं दिया है और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं उन्हें दण्डित करने में त्रुटि की है।

(8)परिणामत: यह दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है। अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या-2, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक- 19 फरवरी,2002 निरस्त किया जाता है। अपीलार्थीगण की की गई दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा निरस्त किए जाते हैं तथा अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 304 (B),

498 (A) एवं 201 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण शिव राम एवं रामवीर, जो कि न्यायिक अभिरक्षा में है, यदि अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उन्हें अविलम्ब रिहा कर दिया जावे।

(न्या.शिव कुमार शर्मा)